

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 868
(28 अप्रैल, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के अंतगत बकाया मजदूरी

868. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री मुल्लापल्लो रामचन्द्रन:

श्री ओम बिरला:

श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के अंतगत विभिन्न राज्यों में कोई बकाया मजदूरी दिया जाना शेष है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी बकाया मजदूरी और सामग्री देयताओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस लंबन/बकाया के क्या कारण हैं;
- (घ) योजना के अंतगत बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई अतिरिक्त धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) इन बकायों की शीघ्र मंजूरी और देशभर में मनरेगा योजना में लगे कामगारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (च) क्या मजदूरी में विलंब की निगरानी हेतु ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या मनरेगा के अंतगत उपलब्ध कराए गए वे श्रम दिवसों की औसत संख्या 45 है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सुदशन भगत)

(क): जी, हां। दिनांक 31.03.2016 तक की मजदूरी देयताओं को चुकता करने के लिए निर्धियां राज्यों को रिलीज कर दी गई हैं।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मजदूरों बकाया और सामग्री संबंधी देयताओं का राज्य/सं.रा. क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I म दिया गया है।

(ग): राज्यों को समय से निर्धारित रिलाज होने से सृजित श्रम दिवसों में वृद्धि हुई है। 15 राज्यों में वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत श्रम बजट से अधिक खर्च कर दिया है। मंत्रालय और राज्यों ने जमीनी स्तर पर मांग के पंजीकरण और कार्यों के अनुवर्ती निष्पादन के लिए अपनी ओर से उपाय किए थे।

(घ): मौजूदा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के मजदूरों घटक को लंबित देयता को चुकता करने और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यक्रम को चालू रखने के लिए राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को 15984.09 रु. रिलाज किए। रिलाज का ज / . . क्षेत्र- से र अनुबंध-II ।

() () : केंद्र सरकार द्वारा 11 जॉ म हाल ही में शुरू की गई पहल है - राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली () को शुरुआत, विलंब का निगरानी के लिए , सावजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली, क्ट्रनिक निधि प्रबंधन प्रणाली, प्रत क्ष अंतरण आदि शुरू

() : सॉ ढ श्रम दिवसों का ज / . . क्षेत्र- ख -III म दी गई है।

लोक सभा म दिनांक 28.04.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारंकित प्र.सं. 868 के भाग (ख) के उत्तर म उल्लिखित अनुबंध -।

मजदूरों और सामग्री देयता

सं.	राज्य	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16 25/04/2016 तक	
		अकुशल मजदूरों	सामग्री	अकुशल मजदूरों	सामग्री	अकुशल मजदूरों	सामग्री	अकुशल मजदूरों	सामग्री
1	आंध्र प्रदेश	15298.28	30.21	3022.24	669.00	2575.82	2766.96	13436.84	51424.83
2	रु प्र	1549.41	343.86	524.86	277.47	155.66	225.46	5410.88	1873.92
3		2810.06	1034.60	133.69	98.57	547.53	1637.76	27301.78	18435.78
4	ि	24871.87	7673.09	15291.02	3853.65	14907.71	3881.08	28160.24	25807.74
5	त	1676.60	1137.43	370.90	1046.38	279.48	512.59	15555.61	9969.75
6		11.90	3.51	1.00	0.23	1.08	0.00	8.79	0.49
7		659.40	1565.57	47.45	346.40	113.53	483.24	1294.09	2704.18
8	ि	1383.51	843.67	89.19	285.43	114.42	160.67	1002.64	2662.40
9	ि प्र	3118.45	966.31	24.89	42.92	184.37	573.58	1478.87	2877.87
10	जम्मू और कश्मीर	6634.09	8050.47	2086.97	2405.78	2441.33	1352.57	31167.25	16605.39
11		127.87	15.55	834.02	103.47	1446.63	231.95	6591.40	1425.01
12		45858.11	26097.63	2087.66	4456.63	818.51	2293.57	4560.19	13229.06
13		8352.42	745.79	341.80	714.73	151.12	729.40	832.78	3263.36
14	द प्र	14957.12	11550.63	325.09	836.88	1041.00	2282.63	3312.99	28356.71
15	ष्ट	7657.10	8329.36	237.08	1431.03	405.30	1575.60	4208.53	23036.80
16	ि	182.38	29.76	95.69	3.93	63.48	4.55	127.83	2.11
17		1640.32	706.78	1262.19	891.03	156.99	332.25	27248.42	13932.86
18	ि	0.00	0.00	33.48	0.51	0.00	0.00	0.42	0.00
19		0.00	0.00	4522.76	629.60	7.39	0.42	29003.87	8130.36
20	ि	1378.73	132.76	843.81	768.60	1221.05	1040.84	11098.71	13649.91
21		1086.56	384.12	259.71	569.78	114.65	122.02	1333.10	5164.00
22	रु	18393.06	18861.54	25.30	1514.54	367.81	4015.42	5955.11	53081.27
23	ि के	168.09	647.93	60.27	173.68	76.26	169.12	2338.07	2626.81
24	ि	28.39	0.44	394.13	147.06	826.76	311.68	22135.06	2056.35
25						1726.18	1490.93	19211.79	7945.51
26	त्रि	30.29	6.12	226.14	251.05	463.68	368.23	287.55	4545.53
27	उत्तर प्रदेश	2263.25	803.82	6315.64	3667.96	4085.95	2653.99	27048.76	25826.81
28	त	5727.92	3361.24	41.69	33.37	696.99	184.81	6844.80	7936.29
29	बि	52521.84	26082.93	6823.35	9801.87	11891.37	5931.49	181144.85	111307.66
30	ि	0.00	0.00	4.54	0.07	332.40	2.07	87.82	3.02
31	ि	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
32	ि	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
33	क्षद	0.00	0.00	0.28	0.16	0.37	0.69	0.00	0.69
34	ि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	3.02	0.30
	कुल	218387.02	119405.12	46326.84	35021.78	47214.84	35335.57	478192.06	457882.77

NR=असूचित

लोक सभा म दिनांक 28.04.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारंकित प्र.सं. 868 के भाग (घ) के उत्तर म उल्लिखित अनुबंध -II

क्र.	उ	2016-17 मनरेगा राज्यां को रिलोज को गई कद्रीय निधियां
1	ध प्र	282042.20
2	अरूणाचल प्रदेश	6984.60
3		14149.75
4	ि	18693.08
5	त	102119.70
6		5120.40
7	ि	1776.69
8	ि प्र	4376.30
9	म - श	36272.32
10		78916.70
11		61685.19
12		52115.24
13	मध्य प्रदेश	140716.20
14	ष्ट	81729.80
15	ि	0.00
16		42350.20
17	ि	1992.14
18		44232.00
19		47710.70
20		12406.46
21	र	61787.13
22	ि के	2753.70
23	ि	74976.60
24		120299.90
25	त्रि	4380.53
26	उत्तर प्रदेश	51195.74
27	त	7940.87
28	शे	239130.40
29	ि	145.83
30	ि	0.00
31	ि	0.00
32	क्षद	0.00
33	पांडिचेरा	297.80
34		0.00
34		111.00
		1598409.18

क्र.	विवरण	अंक
1	ध प्र	55
2	अरुणाचल प्रदेश	27
3		33
4	बि	45
5	द	47
6		18
7		40
8	बि	29
9	बि प्र	42
10	जम्मू और कश्मीर	48
11		52
12		48
13		49
14	द प्र	46
15	द प्र	60
16	बि	16
17		54
18	बि	69
19		52
20	बि	45
21		30
22	रु	55
23	बि के	67
24	बि	61
25		50
26	त्रि	94
27	उत्तर प्रदेश	34
28	द	41
29	इ	47
30	अण्डमान और निकोबार	17
31	रि	NR
32	रि	NR
33	क्षद	22
34	रि	17
		49